

20

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0  
45/2022

तारीख फैसला  
13.05.2023

1- युगल किशोर आत्मज भेरूलाल जाति मीना निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद  
जिला कोटा राज0

( वादी )

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादी )

वादी की ओर से - श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती


निर्णय


वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-


सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 108, पुराना 77 पर खसरा नम्बर 312 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 313 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 1.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 326 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1.20 हेक्टर, कुल 10 किता की 3.61 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी 2073-2076 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम जुगल किशोर दर्ज है जबकि वादी का नाम युगल किशोर है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता भेरूलाल जी व अन्य के शामलाती खाते में दर्ज थी, भेरूलाल जी की मृत्यु के बाद जरिये इंतकाल वादी का नाम सहवन से युगल किशोर के स्थान पर जुगल किशोर दर्ज हो गया है।

यह कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 364, पुराना 359 पर खसरा नम्बर 1992 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2043 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 2067 की 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 2068 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2070 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2071 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 2073 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2074 की 0.18 हेक्टर, कुल 8 किता की 1.62 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी 2075-2078 संलग्न है।

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
जयें तहसीलदार  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम हजारीलाल दर्ज है जबकि वादी का नाम युगल किशोर है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता मेरुलाल जी व अन्य के सामंती खाने में दर्ज थी, मेरुलाल जी की मृत्यु के बाद जयराज इत्यादि वादी का बेटा का नाम हजारीलाल दर्ज हो गया है। जबकि वादी का नाम युगल किशोर है।

यह कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद में खाता संख्या 96 नया, पुराना 91 पर वादी की खातेदारी में खसरा नम्बर 102 की 1.00 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 1.15 हेक्टर कुल दो किता की 2.15 हेक्टर भूमि दर्ज करी जा रही है जिसमें वादी का नाम युगलत किशोर पुत्र मेरुलाल दर्ज जो सही है। नकल जमावदी संवत् 2073-2078 संलग्न है।

यह कि वादी का नाम युगलत किशोर है। वादी के राशन कार्ड व आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, अन्य जमावदी में युगल किशोर अंकित है। जिस कारण ऋण, खाद बीज आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसके कारण वादी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जुगल किशोर के स्थान पर युगल किशोर व हजारीलाल के स्थान पर युगल किशोर अंकित कराने का अधिकारी है।

यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी के कर्मचारियों से उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हजारीलाल के स्थान पर युगल किशोर व जुगल किशोर के स्थान पर युगल किशोर दर्ज करने हेतु दिनांक 20/3/2022 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:-

अतः वादीगण ने निवेदन किया है कि :-

- 1- ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 108, पुराना 77 पर खसरा नम्बर 312 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 313 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 1.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 326 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1.20 हेक्टर, कुल 10 किता की 3.81 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जुगल किशोर के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किया जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।
- 2- ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 364, पुराना 359 पर खसरा नम्बर 1992 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2043 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 2067 की 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 2068 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2070 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2071 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 2073 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2074 की 0.18 हेक्टर, कुल 8 किता की 1.62 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हजारीलाल के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत कसबायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली

*[Signature]*

राजस्व  
किसान सेवा समिति  
दीगोद (राज.)

*[Signature]*

राजस्व  
किसान सेवा समिति  
दीगोद (राज.)

*[Signature]*  
किसान सेवा समिति  
दीगोद (राज.)

किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में जुगल किशोर, हजारीलाल एवं युगल किशोर एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादीगण द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम युगल किशोर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।


अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार :-


1- ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 108, पुराना 77 पर खसरा नम्बर 312 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 313 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 1.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 326 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1.20 हेक्टर, कुल 10 किता की 3.61 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जुगल किशोर के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने आदेश दिये जाते है।


2- ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 364, पुराना 359 पर खसरा नम्बर 1992 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2043 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 2067 की 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 2068 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2070 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2071 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 2073 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2074 की 0.18 हेक्टर, कुल 8 किता की 1.62 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हजारीलाल के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1- युगल किशोर आत्मज भेरूलाल जाति मीना निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद  
जिला कोटा राज0

( वादी )

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

( प्रतिवादी )

वादी की ओर से -- श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

मिसल.45/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार :-

1- ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 108, पुराना 77 पर खसरा नम्बर 312 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 313 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 322 की 1.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 की 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 325 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 326 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 327 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 328 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 की 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 की 1.20 हेक्टर, कुल 10 किता की 3.61 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जुगल किशोर के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।

2- ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 364, पुराना 359 पर खसरा नम्बर 1992 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2043 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 2067 की 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 2068 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2070 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 2071 की 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 2073 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2074 की 0.18 हेक्टर, कुल 8 किता की 1.62 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हजारीलाल के स्थान पर युगल किशोर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



6 17/11/22




34

तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.05.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

  
सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद

सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

  
अध्यक्ष  
तालुका विधिक सेवा समिति  
दीगोद, कोटा (राज.)